



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं. NCST/ATY-3802/MP/222/2026-RU-1

दिनांक: 05.06.2026

पुलिस महानिदेशक,
मध्य प्रदेश शासन,
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
जहांगीराबाद, भीपाल - 462008, मध्य प्रदेश
ई-मेल: dgppmp@mppolice.gov.in

पुलिस महानिदेशक,
केरल सरकार,
पुलिस मुख्यालय, वेल्ल्याम्बलम,
तिरुवनंतपुरम, केरल - 695010
ई-मेल: dgp.pol@kerala.gov.in

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला - खरगोन,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय,
खरगोन, म.प्र. - 451001
ई-मेल: dmkhargone@nic.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला - खरगोन,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
खरगोन, मध्य प्रदेश 451001
ई-मेल: sp_khargone@mppolice.gov.in

मुख्य नगर पालिका अधिकारी (प्रभारी),
जन्म एवं मृत्यु पंजीयक,
नगर परिषद महेश्वर,
जिला खरगोन, मध्य प्रदेश।
ई-मेल: cmomaheshwar@mpurban.gov.in

तहसीलदार (प्रभारी),
तहसील कार्यालय महेश्वर,
जिला खरगोन, मध्य प्रदेश,
ई-मेल: tehmahkhr@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति व्यक्ति निवासी: सेन्ट्रल जेल कॉलोनी, महेश्वर, तहसील- महेश्वर, जिला- खरगोन (मध्य प्रदेश) की नाबालिग कुंभ मेला वायरल लड़की को बहला-फुसलाकर, धोखाधड़ी और षड्यंत्र के माध्यम से अंतर्धार्मिक विवाह के जाल में फंसाने एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में श्री प्रथम दुबे, अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 27.04.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्यवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 17.06.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री प्रथम दुबे,
सामाजिक कार्यकर्ता, सेक्टर-126 रायपुर खादर,
गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201313,
मोबाइल नंबर:9309525434
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सनिश्चित करें।

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director